भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

21.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1645 का उत्तर

खलासियों की नियुक्ति

1645. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर कार्यरत खलासी या बंगले पर कार्य करने वाले खलासियों की संख्या कितनी है तथा खलासी के रूप में नियुक्ति हेतु क्या मानदंड हैं और उनके कार्य की प्रकृति क्या है तथा उन्हें कितनी परिलब्धियां मिलती हैं;
(ख) क्या सरकार को अधिकारियों द्वारा खलासियों के साथ दुर्व्यवहार और बुरे बर्ताव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नीति की समीक्षा हेतु एक संयुक्त सचिव स्तरीय समिति का गठन किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(घ) क्या सरकार खलासी के पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

sk

खलासियों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 21.09.2020 को लोक सभा में डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले के अतारांकित प्रश्न सं. 1645 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): इस समय, भारतीय रेल पर 4227 टेलीफोन अटेंडेंट एवं डाक खलासी (टीएडीके)/बंगला चपरासी कार्य कर रहे हैं। बंगला चपरासी/टीएडीके की आरंभिक भर्ती संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं सिफारिश पर महाप्रबंधक के निजी अनुमोदन पर नए एवजी के रूप में की जाती है। इन उम्मीदवारों को लेवल-। (पूर्ववर्ती ग्रुप डी) कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित नियुक्ति संबंधी अपेक्षित-शैक्षिक अर्हता, आयु एवं चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्तता संबंधी मानदंडों को पूरा करना होता है। इस प्रकार नियुक्त कर्मियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल-। में, जो 18000 रु. से आरंभ होता है, और यथा अनुमेय भत्तों का भुगतान किया जाता है। टीएडीके उन पदाधिकारियों की सहायता करते हैं जिनके साथ उन्हें काम पर लगाया जाता है। उनकी ड्यूटियों में कॉल्स अटेंड करना, डाक/फाइलों का मूवमैंट रिकार्ड करना, कैम्प ऑफिस में अधिकारी की मदद करना और ब्रेकडाउन, आपदा प्रबंधन, फील्ड निरीक्षण से संबंधित सरकारी ड्यूटी तथा अन्य लाइन ड्यूटी करना शामिल हैं।

(ख): अधिकारियों द्वारा बंगला चपरासी/टीएडीके के साथ गाली-गलौच करने अथवा दुर्व्यवहार करने के बारे में कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं की गई है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों द्वारा टीएडीके की शिकायतों के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए हैं जिनकी जांच की जाती है और विभागीय नियमों एवं कार्यविधि के अनुसार उनका निपटान कर दिया जाता है।

(ग): जी हां। टीएडीके की नियुक्ति के लिए मौजूदा तंत्र के स्थान पर एक वैकल्पिक तंत्र की जांच करने के लिए कार्यकारी निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रेल मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया गया है।

(घ) और (ङ): रेल मंत्रालय ने 06.08.2020 के अपने आदेश द्वारा टीएडीके के रूप में नए एवजियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी है।

******

sk